



संख्या : 784 / 66-2004

• प्रेषक,

श्री दयाशंकर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अम्बेडकर ग्राम विकास अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2004

विषय:- समग्र ग्राम्य विकास योजना के वर्ष 2004-05 के चयनित गाँव के लक्ष्य पूर्ति की समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 50 / 66-2004 दिनांक 08 जनवरी, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हेतु निम्न समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

1	चयनित गाँवों की कार्ययोजना की प्रति शासन में प्राप्त	20-6-2004
2	गाँव स्तर पर कार्य प्रारम्भ का सत्यापन	30-6-2004
3	लक्ष्य का 10 प्रतिशत पूर्ति	31-7-2004
4	लक्ष्य का 20 प्रतिशत पूर्ति	31-8-2004
5	लक्ष्य का 30 प्रतिशत पूर्ति	30-9-2004
6	लक्ष्य का 50 प्रतिशत पूर्ति	31-10-2004
7	लक्ष्य का 75 प्रतिशत पूर्ति	31-12-2004
8	लक्ष्य का 90 प्रतिशत पूर्ति	31-01-2005
9	लक्ष्य का शत प्रतिशत पूर्ति	28-2-2005
10	कार्यों का 50 प्रतिशत सत्यापन	15-03-2005
11	कार्यों का शत प्रतिशत सत्यापन	31-03-2005

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सीमा पर शहीद सैनिकों के गाँव के चयन का सीधा दायित्व जिलाधिकारी का है और इसमें किसी की संस्तुति की आवश्यकता नहीं है इसलिए यह सुनिश्चित करें कि इस श्रेणी में कोई गाँव न छूटें तथा उनके संतुष्टीकरण में लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित हो।

भवदीय,

(दयाशंकर)
विशेष सचिव



अगले पेज हेतु क्लिक करें

पुसः ७८५ / तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, विकलांग कल्याण, राजस्व, महिला कल्याण, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।


(दयाशंकर)
विशेष सचिव

